

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 463 / 2007
संस्थान दिनांक 29.10.2007

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. श्याम पिता संतोष, आयु 31 वर्ष,
 2. राजेश पिता संतोष, आयु 27 वर्ष,
 3. राजु पिता संतोष, आयु 25 वर्ष,
 4. बाबुलाल पिता तुरीया, आयु 27 वर्ष,
 5. जगदीश पिता छगन, आयु 32 वर्ष,
- सभी निवासीगण- रामदेवपुरा,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 20.05.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 153 / 2007 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 341, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 29.10.2007 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 11.10.2007 को समय लगभग रात्रि 8-9 बजे, पलासिया गाँव के बाहर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विधिविरुद्ध जमाव का गठन करने, जिसका सामान्य उद्देश्य अभियोगी मुन्ना को उपहति कारित करना था, के अग्रसरण में बलवा कारित करने, अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने जिसका सामान्य उद्देश्य अभियोगी मुन्ना को उपहति कारित करना था, के अग्रसरण में बलवा कारित करते समय घातक आयुध लकड़ी से सुसज्जित है, जिसका सामान्य प्रयोग करने पर मृत्यु कारित करना संभावित होना, अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने, जिसका सामान्य उद्देश्य मुन्ना और अन्य को उपहति कारित करना था, के अग्रसरण में अभियुक्तगण में से किसी ने मुन्ना, गजु, श्यामाबाई व बाबु को स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित करने, फरियादीगण को सदोष अवरोध कारित करने, फरियादीगण को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित करने तथा फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक संत्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 147, 148, 323 / 149, 341, 294, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11.10.2007 को फरियादी मुन्ना, गजु व फरियादी की बहन सेवतीबाई अंजड़ से पलासिया घर जा रहे थे, गाँव के बाहर श्याम, राजेश, राजु, बाबुलाल एवं जगदीश सभी एकमत होकर आये व उनका रास्ता रोक लिया व कही जाने नहीं दिया और कहा कि कल की बात को लेकर बाबु व श्यामाबाई को गाली-गलोच व मारपीट की गई है तथा उनको समझा लेना व माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगे जो सुनने में बुरी लग रही थी तथा एकमत होकर लकड़ियों से मारपीट करने लगे। अभियुक्त श्याम व बाबुलाल की लकड़ी फरियादी मुन्ना के दाहिने पैर की जांघ पर लगी व चोंटे आई, गजु को मंगलिया ने लकड़ी मारी जो बायें पैर के टकने पर लगी, फरियादी की बहन को भी मारने दौड़े। अभियुक्त जगदीश एवं राजु ने भी हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा सभी अभियुक्तों ने जान से खत्म करने की धमकी भी दी। पुलिस ने फरियादी मुन्ना द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 153/2007 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 341, 294, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 3 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षी मुन्ना की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 बनाया। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त बाबुलाल, राजु, श्याम, राजेश, जगदीश एवं मंगलिया से 1-1 बबुल की लकड़ी जप्त कर क्रमशः प्रदर्शपी 10 लगायत 15 तक के जप्ती पंचनामें बनाये व अभियुक्तगण मंगलिया, जगदीश, बाबुलाल, राजु, राजेश व श्याम को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 16 लगायत 21 के गिरफ्तारी पंचनामें बनाये व अनुसंधान के दौरान मुन्ना व साक्षीगण गजु, सेवतीबाई, गबु, बुधा, नानीबाई, बाबु व श्यामाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 341, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 148, 323/149, 341, 294, 506 भाग-2 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया। अभियुक्त मंगलिया की मृत्यु होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 11.10.2007 को समय लगभग रात्रि 8–9 बजे, पलासिया गाँव के बाहर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विधिविरुद्ध जमाव का गठन करने, जिसका सामान्य उद्देश्य अभियोगी मुन्ना को उपहति कारित करना था, के अग्रसरण में बलवा कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने जिसका सामान्य उद्देश्य अभियोगी मुन्ना को उपहति कारित करना था, के अग्रसरण में बलवा कारित करते समय घात आयुध लकड़ी से सुसज्जित है, जिसका सामान्य प्रयोग करने पर मृत्यु कारित करना संभावित था ?

3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने, जिसका सामान्य उद्देश्य मुन्ना और अन्य को उपहति कारित करना था, के अग्रसरण में अभियुक्तगण में से किसी ने मुन्ना, गजु, श्यामाबाई व बाबु को स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को सदोष अवरोध कारित किया ?

5. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गॉलिया देकर क्षोभ कारित किया ?

6. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक संत्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी मुन्ना (अ.सा.1), सेवंतीबाई (अ.सा.2), नानीबाई (अ.सा.3), शेरूसिंग (अ.सा.4), बाबू (अ.सा.5), श्यामा (अ.सा.6), डॉ.जयप्रकाश पण्डित (अ.सा.7), दिलीप (अ.सा.8) एवं बबनराव चौधरी (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 से 6 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी मुन्ना अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है। घटना लगभग 4-5 वर्ष पूर्व की है। वह अंजड़ आया था तथा बहन सेवतीबाई व गजु के साथ पलासिया जा रहा था। अभियुक्तगण ने उसके भाई बाबु एवं भाभी श्यामाबाई के साथ घर पर मारपीट की थी तथा तोड़फोड़ की थी। अभियुक्तों ने घर पर लट्ठ से मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी देकर कह रहे थे कि वहाँ पर रहेंगे तो जान से खत्म कर देंगे। अभियुक्त राजेश ने उसे लकड़ी मारी थी, जो दाहिने पैर में लगी थी। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि उसके साथ राजु, बाबु एवं मंगलिया ने मारपीट की थी, उसके भाई बाबु द्वारा मारपीट करने पर पीठ एवं हाथ पर चोटें आई थी तथा उसकी भाभी श्यामाबाई को दोनों पैरों में चोटें आई थी। घटना के समय उसकी बहन सेवतीबाई एवं गजु आ गये थे। उसके बाद उन्होंने थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने प्रदर्शनी 3 की रिपोर्ट अपने द्वारा लिखाना और उसमें निशानी अंगूठा लगाना स्वीकार किया है। पुलिस ने उसे और घायलों को अस्पताल भेजा था तथा उसने घटनास्थल बताया था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्शनी 1 में अभियुक्त श्याम एवं बाबुलाल की लकड़ी उसके दाहिने पैर पर लगने की बात बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि गजु को अभियुक्त मंगलिया ने लकड़ी मारी थी, जो उसके बायें पैर के टकने के पास लगी थी। घटना के समय नानीबाई एवं बुधा आ गये थे। उसने पुलिस को प्रदर्शनी 5 के कथन में भी यह बात बताई थी।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे घटना की दिन व दिनांक याद नहीं है। घटना रात्रि लगभग 8:30 बजे की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय अंधेरा था और विद्युत प्रदाय बंद था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके गाँव में बिजली शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक बंद रहती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास और भी लोगों के मकान हैं, लेकिन वे लोग उपस्थित नहीं थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह मदिरा पीता है। अभियुक्तों ने भी उसके विरुद्ध रिपोर्ट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय वह भी मदिरा पिया हुआ था, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि मदिरा पीने से उसके गिर जाने से उसे चोटें आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी अभियुक्तों से बोलचाल बंद है अथवा रंजिश है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शनी 3 की रिपोर्ट में उसने यह नहीं बताया कि सभी के पास क्या हथियार थे।

9. सेवतीबाई असा 2 का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानती हैं। 5-6 वर्ष पूर्व रात्रि के समय वह गजु एवं मुन्ना अंजड़ से घर जा रहे थे तो अभियुक्तों ने उसके भाई बाबु एवं श्यामाबाई के साथ लट्ठ से मारपीट की थी तथा घर में रखे बर्तन भी तोड़-फोड़ कर दिये थे। साक्षी का कथन है कि अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि जब वे घर जा रहे थे तब अभियुक्तों ने एक साथ आकर उनका रास्ता रोक लिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सभी अभियुक्तों के हाथ में लकड़ी एवं लट्ठ थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने उनको बाबु एवं श्यामाबाई के साथ मारपीट करके आना बताया था। साक्षी ने भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने लकड़ी से मुन्ना एवं गजु के साथ मारपीट की, जिससे मुन्ना के दाहिने पैर की जांघ एवं गजु के बायें पैर पर मंगलिया ने लकड़ी मारी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जगदीश एवं राजु ने उसके साथ लात-घुसों से मारपीट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने उन्हें जान से खत्म करने की धमकी दी थी और जब वे घर पहुँचे तो वह बाबु एवं श्यामाबाई के साथ मारपीट कर रहे थे और उनके भाई एवं भाभी ने अभियुक्तों द्वारा लकड़ी से मारपीट करना बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके भाई एवं भाभी के पीठ, हाथ, सिर पर चोटें आई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह बाजार करने अंजड़ आई थी और मुन्ना घटना खत्म होने के बाद मौके पर पहुँचा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उसे रास्ते में मिले थे, उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उस समय गजु एवं मुन्ना भी उसके साथ थे, जिन्होंने उसे रास्ते में रोका एवं बाद में वह अपने घर चले गई और अभियुक्तगण भी वहाँ से चले गये। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण जाति-समाज के हैं तथा रिश्तेदार भी हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि रास्ते में अभियुक्तों ने उसके साथ कोई गाली-गलोच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी।

10. बाबु असा 5 का कथन है कि 5-7 पूर्व उसके एवं उसकी पत्नी के साथ अभियुक्तों ने मारपीट की थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी मुन्ना उसका छोटा भाई है। घटना वाले दिन शाम को 7 बजे वे अपने घर के आंगन में बैठे थे तभी अभियुक्तगण एकमत होकर हाथ में लकड़ी लेकर आये तथा उसके एवं उसकी पत्नी के साथ लकड़ी एवं ताल-मुक्कों से मारपीट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों के मारपीट करने से उसे पीठ, कमर एवं दोनों हाथ-पैरों में चोटें आई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि फिर उसके भाई मुन्ना, राजु एवं सेवती के साथ भी अभियुक्तों ने रास्ता रोककर मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने उसे माँ-बहन की गॉलिया दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उनके ही परिवार के

हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर अभियुक्तों के मकान है। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर उसकी माता जमुनाबाई, पत्नी श्यामाबाई व भाई मुन्ना थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट की थी।

11. श्यामाबाई अ.सा. 6 ने भी बाबु के कथन का समर्थन करते हुए अभियुक्तों द्वारा उसके और बाबु के साथ घर के अंगान में घुसकर लकड़ियों से तथा लात-मुक्कों से मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्तों के मारपीट करने से उसे कमर एवं दोनों पैरों में चोटें आई थी। उसके पति को भी चोटें आई थी। अभियुक्तों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस साक्षी ने भी सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना नानीबाई एवं बुधा ने देखी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उनके साथ मारपीट कर रामदेवपुरा जा रहे थे तब रास्तों में मुन्ना, राजु एवं सेवंतीबाई का रास्ता रोककर उनके साथ भी मारपीट की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उसके रिश्तेदार हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे घटना की दिन व दिनांक याद नहीं है। विवाद रात्रि 11:30 बजे हुआ था उस समय भोजन करके सो रहे थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी अभियुक्तों से 4-5 वर्ष से बातचीत बंद है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा घटना के समय वह बीमार थी तथा चक्कर खाकर गिर गई थी।

12. नानीबाई असा 3 का कथन कथन है कि फरियादी मुन्ना एवं अभियुक्तों के मध्य विवाद हुआ था लेकिन उस समय वह अपने घर पर थी। उसे अभियुक्तों एवं फरियादी के मध्य विवाद की कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को पक्षविराधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके सामने फरियादी एवं साक्षियों के साथ लात-मुक्कों एवं लकड़ी से मारपीट की थी। यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शनी 2 का कथन देने से भी इंकार किया है।

13. शेरूसिंग असा 4 का कथन है कि 4-5 वर्ष पूर्व प्रातः बाबु की बहन सेवंती ने उसे बताया कि बाबु, श्यामाबाई एवं उसके साथ रात्रि में मारपीट की गई है और उसने घायलों को पुलिस थाना अंजड़ अपने वाहन से भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने कोई विवाद नहीं हुआ है, उसे विवाद के कारण की कोई जानकारी नहीं है।

14. दिलीप असा 8 ने अभियुक्तों एवं फरियादी को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। साक्षी को पक्षविराधेरी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्तों से बबुल की लकड़ी जप्त की थी अथवा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

15. बबनराव चौधरी असा 9 का कथन है कि दिनांक 12.10.2007 को थाना अंजड़ में फरियादी मुन्ना ने थाने पर आकर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 3 की दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक सज्जन मिश्रा द्वारा की जा चुकी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसने श्री सज्जन मिश्रा के साथ रहकर 2-3 वर्ष तक कार्य किया है, वह उनकी हस्ताक्षर व हस्तलिपि को पहचानता है। नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 प्रधान आरक्षक सज्जन मिश्रा की हस्तलिपि में होकर उसके हस्ताक्षर हैं तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 10 से 15 भी प्रधान आरक्षक सज्जन मिश्रा की हस्तलिपि में होकर सज्जन मिश्रा के हस्ताक्षर हैं, जो वह पहचानता है। बचाव पक्ष की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी पढ़ा-लिखा नहीं है, उसने मौखिक रिपोर्ट की थी। उसने फरियादी को रिपोर्ट पढ़कर बताई थी।

16. डॉ. जे. पी. पंडित असा 7 का कथन है कि दिनांक 12.10.2007 को उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंजड़ में थाना अंजड़ के आरक्षक शिवपाल द्वारा लाये जाने पर आहत मुन्ना पिता फत्या का मेडिकल परीक्षण करने पर उसकी बायीं जांघ पर 3x2 इंच का कंट्यूजन होना पाया था तथा उसके द्वारा आहत गजु पिता राजु का मेडिकल परीक्षण करने पर बायें पैर पर 2x1/2 इंच की खरोच होना पाई थी। उसने आहत बाबु पिता फत्या का मेडिकल परीक्षण करने पर पीठ पर दाहिने तरफ 3x1 इंच की दो सूजन, 4x1 तथा 5x1 इंच की सूजन होना पाई थी। पीठ में बायीं और 6x1, 4x1 इंच, 4x1/2, 5x1 इंच की सूजन होना पाई थी तथा सिर पर दाहिनी ओर 1x1/2 इंच की सूजन तथा बांयी तथा दाहिने जाँघ पर 3x1 इंच की सूजन पाई थी। साक्षी ने उक्त सभी चोटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से 24 घंटे के भीतर साधारण प्रकृति की होना बताई थी तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 लगायत 9 भी प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने श्यामाबाई का परीक्षण किया था लेकिन कोई बाहरी चोट नहीं होना पाई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सभी आहतों को आई चोटें गिरने से आना संभव है।

17. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों ने मुन्ना या अन्य साक्षियों को उपहति कारित करने का सामान्य उद्देश्य मिलकर निर्मत किया और घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया। मुन्ना असा 1 ने स्वयं प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना के समय अंधेरा था और बिजली बंद थी तथा अभियुक्तगण को अपना रिश्तेदार होना स्वीकार किया है। मुन्ना ने अभियुक्तों से उसकी पूर्व से बातचीत बंद होना भी स्वीकार किया है। सेवंतीबाई असा 2 ने अपने साथ मारपीट नहीं होना बताया है तथा अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यंत्रवत रूप से अभियोजन के सभी सुझावों को एक स्वर में स्वीकार किया है। घटना की चश्मदीद बताई गई साक्षी नानीबाई असा 3 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक कि आहत बाबु असा 5 और श्यामाबाई असा 6 ने भी मुख्य परीक्षण में प्रारम्भ में कोई कथन नहीं किया है, लेकिन बाद में अभियोजन के सुझावों को स्वीकार किया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी ने स्वयं घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते हुए बल्कि अभियोजन द्वारा उन्हें बताई गई घटना का समर्थन कर रही है। किसी अभियुक्त ने किस प्रकार से किस आहत के साथ मारपीट की इस संबंध में अभियोजन के सभी साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास एवं विसंगतियाँ हैं। यद्यपि उक्त घटना अभियोजन के अनुसार दो अलग-अलग स्थानों पर घटित होना बताया गया है, लेकिन अभियोजन के साक्षीगण इस प्रकार कथन कर रहे हैं मानो घटना उनके सामने ही घटित हुई, जबकि वास्तव में मुन्ना, सेवंतीबाई एवं गजु के साथ हुई घटना के समय बाबु एवं श्यामाबाई उपस्थित नहीं थे तथा बाबु एवं श्यामाबाई के साथ हुई घटना के समय मुन्ना, सेवंती एवं गजु उपस्थित नहीं थे। अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथा के विपरीत न्यायालय में अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर कथन किये हैं, जिससे अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है। यहाँ तक कि साक्षियों ने अभियुक्तों द्वारा दी गई गोलियाँ या दी गई धमकी भी न्यायालय कथन के दौरान नहीं बताई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों का यह बचाव संभावित प्रतीत होता है कि पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्तों के विरुद्ध फरियादी ने यह प्रकरण दर्ज कराया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और उक्त संदेह का लाभ अभियुक्तों पाने का अधिकारी प्रतीत होता है।

18. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय सभी प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 147, 148, 323/149, 341, 294, 506 भाग-2 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ियों अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी